

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं.13050/2110

दिनांक :- 08-11-2021

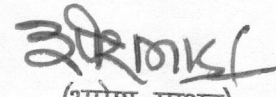
कार्यालय आदेश

श्री प्रभु रामचन्दानी (लिंक नं. 13050) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, अजमेर को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

असाधारण अवकाश :- दिनांक 27.08.2018 से 23.10.2018 तक 58 दिवस
दिनांक 25.10.2018 से 14.11.2018 तक 21 दिवस
दिनांक 16.11.2018 से 01.12.2018 तक 16 दिवस
दिनांक 03.12.2018 से 05.12.2018 तक 03 दिवस
दिनांक 10.12.2018 से 14.02.2019 तक 67 दिवस
(कुल 165 दिवस)

उक्त कुल 165 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री प्रभु रामचन्दानी की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

उक्त असाधारण अवकाश स्वीकृति वित्त(राजस्व) विभाग की डायरी क्रमांक 5004 दिनांक 14.10.2021 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं.13050/2110
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 08-11-2021

1. कमान् अधिकारी, 11 राजस्थान बटालियन एन.सी.सी., अजमेर।
2. कोषाधिकारी, अजमेर।
3. श्री प्रभु रामचन्दानी (लिंक नं. 13050) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, अजमेर।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)